राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर–26 प्रतापनगर जयपुर–302033

क्रमांकः–प्रति–1/नियमितिकरण/हो.चि./सीधी भर्ती/6/13/2016/ दिनांकः–

–:: कार्यालय आदेश ::–

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.10(20)आयु./2015 दिनांक 04.07.2016 के द्वारा निम्नांकित चिकित्सकों की नियुक्ति होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर रनिंग पे बैण्ड (3)15600–39100 ग्रेड पे संख्या (15) 5400 नियत पारश्रमिक 22180/– में दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर कार्यग्रहण करने की तिथि से नियुक्ति प्रदान की गई थी।

संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर के पत्रांक प.10(56)आयु./2017 दिनांक 16.07.2019 की पालना में निम्नांकित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों द्वारा दो वर्षीय परिवीक्षाकाल में कार्य संतोषजनक पूर्ण कर लेने के उपरांत इन्हे होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद की नियमित पे मेट्रिक्स लेवल–14 में मूल वेतन 56100/– एवं उस पर देय नियमानुसार वेतन भत्ते कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्षीय परिवीक्षाकाल पूर्ण किये जाने की दिनांक से स्थाई करते हुये (उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 6 में अंकित दिनांक से) नियमित वेतन दिये जाने की स्वीकृति एतत्द्वारा प्रदान की जाती है :–

क्र. सं.	नाम चिकित्साधिकारी मय पिता/पति का नाम	नियुक्ति/पदस्थापन स्थान	कार्यभार ग्रहण दिनांक	परिवीक्षाकाल पूर्ण होने की दिनांक	नियमित वेतन दिये जाने की दिनांक
1	2	3	4	5	6
1.	सुशील कुमार/श्री दीपचन्द	राज. होम्यो. औष. पी. एच.सी. भंगेरा, झुन्झुनू	12.07.2016	11.07.2018	12.07.2018
2.	दिव्या पी. कुमार/श्री जे. के. डोंगरे	राज. होम्यो. औष., सांथेली, बूंदी	19.07.2016	18.07.2018	19.07.2018

(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक

क्रमांकः–प्रति–1/नियमितिकरण/हो.चि./सीधी भर्ती/6/13/2016/3881-88 दिनांकः– 14/8/19

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. संयुक्त शासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को उनके पत्रांक प. 10(56)आयु./2017 दिनांक 16.07.2019 के क्रम में सूचनार्थ।
2. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. नोड्ल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर को दी जाकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर आज ही अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करे।
4. संबन्धित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, श्री ....।
5. कार्यालय की लेखा शाखा को दो प्रतियों में।
6. कार्यालय की विधि शाखा।
7. संबन्धित की निजी पत्रावली हेतु।
8. रक्षित पत्रावली।

(डॉ. मनीषा सक्सैना)
कार्यालयाध्यक्ष एवं सहायक निदेशक

Scanned by CamScanner